प्रेस नोट

थाना छपरौली   दिनांक 03.03.2023

गैंगस्टर अधिनियम में आरोपी राजीव को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 04 वर्ष 03 माह का कारावास व 05 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा।

कार्यवाही –

अवगत कराना है कि अभियुक्त राजीव पुत्र धर्मवीर निवासी दातल कंकरखेडा जनपद मेरठ, स्थायी पता एलम थाना कांधला जनपद शामली के विरूद्व थाना छपरौली पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 373/2018 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई । जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 03.03.2023 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट सं0-03 विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर अधिनियम) जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त राजीव को दोषी पाते हुए धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम में 04 वर्ष 03 माह का कारावास व 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

दोषसिद्ध अपराधी का नाम व पता-

राजीव पुत्र धर्मवीर निवासी निवासी दातल कंकरखेडा जनपद मेरठ, स्थायी पता एलम थाना कांधला जनपद शामली।

अभियुक्त राजीव का आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0 200/2018 धारा 147/148/149/404/34/302/201/307/120बी भादवि थाना छपरौली जनपद बागपत।

4- मु0अ0सं0 373/2018 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना छपरौली जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना चांदीनगर **दिनाँक 03-03-2023**

थाना चांदीनगर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 17/2023 धारा 302/201/34 भादवि से संबंधित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसकी निशादेही पर मृतका लड़की का शव हिण्डन नदी से बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 26-02-2023 को थाना चांदीनगर पुलिस को सूचना मिली कि प्रमोद पुत्र सुखबीर (होमगार्ड थाना चांदीनगर) निवासी ग्राम पांची ने अपनी लडकी उम्र करीब 16 वर्ष की हत्या कर शव को हिंडन नदी में फेंक दिया है। सूचना पर पुलिस द्वारा प्रमोद को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई, प्रमोद की निशादेही पर उसकी लडकी का शव हिंडन नदी से बरामद किया गया तथा थाना चाँदीनगर पर मु0अ0सं0 17/2023 धारा 302/201/34 भादवि पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 17/2023 धारा 302/201/34 भादवि से संबंधित अभियुक्त प्रमोद को गिरफ्तार कर उसकी निशादेही पर मृतका लड़की का शव हिण्डन नदी से बरामद किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

प्रमोद पुत्र सुखवीर निवासी ग्राम पांची थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैंने तथा मेरे भाई मोहित ने मेरी लड़की को दिनांक 23.02.2023 को शानू नाम के लड़के से बात करते हुए देख लिया था हम लोगों को गुस्सा आ गया। गुस्से में मैने अपने भाई मोहित के साथ मिलकर अपनी लड़की का गला दबा दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद हमने शव को मोहित की इको गाड़ी में डालकर रात्रि करीब 11:30 **बजे मुकारी गांव के पास हिंडन नदी के पुल से शव को नदी में फेंक दिया था।**

गिरफ्तार / बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 श्री सुशील कुमार।
2.उ0नि0 श्री राहुल प्रताप सिंह।
3.का0 832 बितेन्द्र सिंह।
4.का0 1023 गणेश कुमार।
5.का0 883 उमाशंकर।
6.का0 745 गुलवीर सिंह।
7.म0का0 356 कुन्ती।

प्रेस नोट

थाना बिनौली दिनाँक 03-03-2023

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 49/23 धारा 279/338/304 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 25.02.2023 को थाना बिनौली पर वादी श्री कर्ण सिंह पुत्र स्व0 मुन्शीराम निवासी फतेहपुर पुट्ठी थाना बिनौली ने सूचना दी कि सफारी स्ट्रोम गाड़ी नं0 UP16BA9800 के अज्ञात चालक द्वारा तेजी व लापरवाही से चलाकर वादी के पुत्र प्रमोद के थ्री व्हीलर रेडे में टक्कर मार दी जिससे वादी का बेटा प्रमोद व वादी का पोता वंश उम्र करीब 14 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गए तथा उपचार के दौरान वादी के पोते वंश की दुखद मृत्यु हो गई। चालक गाडी छोडकर मौके से फरार हो गया। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 49/23 धारा 279/338/304A भादवि पंजीकृत किया गया था।

उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान धारा 304A भादवि का विलोपन कर धारा 304 भादवि की वृद्धि की गयी।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 49/23 धारा 279/338/304 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

अनिल पुत्र स्व0 सुम्मेर सिंह निवासी चिपयाना बुजुर्ग थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- प्र0नि0 श्री सलीम अहमद थाना बिनौली जनपद बागपत।

2- उ0नि0 श्री सतीशचन्द्र गंगवार थाना बिनौली जनपद बागपत।

3- का0 343 पुरुषोत्तम थाना बिनौली जनपद बागपत।